

**राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड**  
**पंत कृषि भवन , जनपथ – जयपुर**

क्रमांक एफ 6 (32-के एण्ड जेड) विपणन/2006

दिनांक:

परिपत्र

कार्यालय परिक्रमांक एफ 6 (32 के एण्ड जेड) विपणन/2006/2337-2515 दिनांक 28-04-06 में आंशिक संशोधन करते हुये खरीफ-2006 में सामान्य वितरण हेतु उपलब्ध ग्वार, मौठ एवं तिल प्रमाणित बीज की की विक्रय दर श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार संशोधित की जाती है जो आज दिनांक 29-05-06 से प्रभावी होगी-

दर प्रति क्वि.(राशि रूपये में)

क्र. स.	फसल/किस्म	कुल विक्रय	अनुदान राशि	विक्रय दर अनुदान राशि घटाने के पश्चात् (डल्ट्)
1	ग्वार आर.जी.सी.- 936	5000.00	800.00	4200.00
2	ग्वार अन्य समस्त किस्में (सब्जी किस्मों को छोडकर)	4300.00	800.00	3500.00
3	मौठ आर.एम.ओ.- 40	7300.00	800.00	6500.00
4	तिल आर.टी.-46 एवं जी.-1	7300.00	800.00	6500.00

**उक्त दरें समस्त प्रमाणित बीज (कैरी ओवर, नवउत्पादित एवं बाहर से कय ) पर लागू होगी।**

खरीफ- 2006 में सामान्य वितरण हेतु उपलब्ध मूंग एवं उडद प्रमाणित बीज की विक्रय दर श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है जो आज दिनांक 29-05-06 से प्रभावी होगी :-

दर प्रति क्वि.(राशि रूपये में)

क्र. स.	फसल/किस्म	कुल विक्रय	अनुदान राशि	विक्रय दर अनुदान राशि घटाने के पश्चात् (डल्ट्)
1	उडद टी.- 9	6800.00	800.00	6000.00
2	मूंग सभी किस्में	5300.00	800.00	4500.00

सामान्य वितरण में निगम के अधिकृत विक्रेताओं को व्यापारिक छूट (ट्रेड डिस्काउण्ट) या परिलाभ निगम के परिक्रमांक 10852-11085 दिनांक 10-09-1996 एवं 11820-12060 दिनांक 16-09-1996 के अनुसार तथा राजफैड को निगम एवं राजफैड के मध्य हुये समझौते के अनुसार ( डल्ट् पर ) देय है।

मुख्यालय के पत्रांक 13916-14160 दिनांक 13-10-1997 में दिये निर्देशों की अनुपालना में सामान्य वितरण/प्रदर्शन हेतु इनवाइस/कैशमेमो आदि में अनुदान राशि का उल्लेख अवश्य करें।

महाप्रबंधक

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि राजस्थान सरकार जयपुर ।
1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक कृषि विभाग राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर ।

3. निदेशक उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर ।
4. प्रबंध निदेशक राजफैड जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि राजफैड के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों /ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उक्त दरें अपने स्तर पर अवगत करवाने का श्रम करें ।
5. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान सरकार जयपुर ।
6. अतिरिक्त निदेशक कृषि आदान/परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा/आई.जी.एन.पी. बीकानेर
7. संयुक्त निदेशक कृषि योजना /दलहन / तिलहन/ बीज एवं समस्त संभाग ।
8. उप निदेशक कृषि चारा जयपुर /उप निदेशक कृषि विस्तार समस्त / उप निदेशक कृषि (शष्प) जयपुर ।
9. सहायक निदेशक कृषि विस्तार समस्त ।
10. वरिष्ठ प्रबंधक वित्त / विधायन/ उत्पादन/विपणन/ उप प्रबंधक (जन संपर्क ) राजस्थान स्टेट सीडस कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर ।
11. समस्त क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबंधक राजसीडस को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित निजी एवं सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं को उक्त दरें अपने स्तर से अवगत कराने का श्रम करें।
12. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड समस्त ।
13. लेखाधिकारी / लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार राजसीडस समस्त इकाइयां ।
14. समस्त प्रतिबद्ध विक्रेता वित्तीय वर्ष 2006-07 को सूचनार्थ ।

**महाप्रबंधक**

**राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड,**  
पंत कृषि भवन, तृतीय तल, जनपथ, जयपुर

क्रमांक एफ 6 ( 32 आर) विपणन / 2006-07 /

दिनांक :

**परिपत्र**

रबी 2006-07 में विक्रय हेतु उपलब्ध प्रमाणित बीज की विक्रय दर श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी :-

दर प्रति क्विंटल (राशि रूपये

में)

फसल	किस्म	कुल विक्रय मूल्य	अनुदान राशि	विक्रय दर प्रति क्विंटल अनुदान राशि घटाने के पश्चात (एम.आर.पी.)
जौ	आरडी 2035 / 2052	1450	—	1450
	डीडब्लूआर-28	1300	200	1100
	आरडी 2503 / 2508 / 2552	1650	200	1450
चना	सभी किस्में	4300	800	3500*
मसूर	सभी किस्में	3500	800	2700
अलसी	सभी किस्में	3300	800	2500
गेहूं	सी-306	1950	—	1950
	डब्ल्यू एच-147, राज-3765 / 1482 / 3077, लोक-1	1650	—	1650
	राज-3777 (प्रमाणित)	1850	200	1650
	राज-3777 (सत्यचिन्हित)	1500	—	1500 समस्त कर सहित
	जीडब्ल्यू 273 / 322 / 490, पीबीडब्ल्यू 373 / 396 / 443, एचडी-2687 / 4672, एचआई-8498, यूपी-2382, एचडब्ल्यू-2004	1600	200	1400
	जीडब्ल्यू 173, पीबीडब्ल्यू 343, यूपी-2338, डब्ल्यू एच-542	1500	—	1500

\* चना प्रमाणित बीज सभी किस्मों पर समस्त विक्रेता (निजी एवं सहकारी क्षेत्र) को 8 प्रतिशत व्यापारिक छूट ही देय होगी।

चना बीज के अतिरिक्त सामान्य वितरण में विक्रय किये जाने वाले अन्य बीज पर निगम के अधिकृत विक्रेताओं को व्यापारिक छूट (ट्रेड डिस्काउन्ट) या परिलाभ निगम के परिपत्रांक 10852-11085 दिनांक 10.9.96 एवं 11826-12060 दिनांक 16.9.96 के अनुसार तथा राजफैड को निगम एवं राजफैड के मध्य हुये समझौते के अनुसार (एम.आर.पी. पर) देय होंगे। मुख्यालय के पत्रांक 13916-14160 दिनांक

13-10-1997 में दिये निर्देशों की अनुपालना में सामान्य वितरण/प्रदर्शन हेतु इनवाइस/कैशमेमो आदि में अनुदान राशि का उल्लेख अवश्य करें।

**महाप्रबन्धक**

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि राजस्थान सरकार जयपुर ।
2. निजी सहायक, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सहायक, निदेशक कृषि विभाग राजस्थान जयपुर
4. निजी सहायक, निदेशक उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर ।
5. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजफैड जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि राजफैड के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से समस्त क्रय विक्रय सहकारी समितियों / ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उक्त दरें अपने स्तर पर अवगत करवाने का श्रम करें
6. निजी सहायक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान सरकार जयपुर ।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि आदान/परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा/आई.जी.एन.पी. बीकानेर।
8. संयुक्त निदेशक कृषि योजना /दलहन / तिलहन/ बीज एवं समस्त संभाग ।
9. उप निदेशक कृषि चारा जयपुर /उप निदेशक कृषि (विस्तार/उद्यान) समस्त / उप निदेशक कृषि (शष्प) जयपुर ।
10. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार/उद्यान) समस्त ।
11. वरिष्ठ प्रबंधक वित्त / विधायन/ उत्पादन/विपणन/ उप प्रबंधक (जन संपर्क) राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर ।
12. समस्त क्षेत्रीय/संयंत्र प्रबंधक राजसीड्स को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित निजी एवं सहकारी क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं को उक्त दरें अपने स्तर से अवगत कराने का श्रम करें।
13. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड समस्त ।
14. लेखाधिकारी / लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार राजसीड्स समस्त इकाइयां ।
15. समस्त प्रतिबद्ध विक्रेता वित्तीय वर्ष 2006-07 को सूचनार्थ ।

**महाप्रबन्धक**

**राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड,**  
पंत कृषि भवन, तृतीय तल, जनपथ, जयपुर

क्रमांक एफ 6 ( 32 के) विपणन / 2005-06 / राजसीडस /

दिनांक

**परिपत्र**

खरीफ 2006 में सामान्य वितरण हेतु उपलब्ध नव उत्पादित (निगम द्वारा उत्पादित एवं बाहर से क्रय) प्रमाणित बीज की विक्रय दर श्रीमान प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदन से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी :-

दर प्रति क्विंटल (राशि रूपये में)

क्र.स.	फसल	किस्म	कुल विक्रय मूल्य	अनुदान राशि	विक्रय दर अनुदान राशि घटाने के पश्चात (एम.आर.पी.)
1	बाजरा	एम. एच.— 169 / 179	4500	—	4500
2	बाजरा	आई.सी.एम.एच. 356	3600	—	3600
3	बाजरा	एच.एच.बी.— 67	3500	—	3500
4	बाजरा	एच.एच.बी.— 94	3300	—	3300
5	बाजरा	आर.एच.बी.— 121	4200	1000	3200
6	बाजरा	आई.सी.टी.पी.— 8203	1900	—	1900
7	बाजरा	राज— 171	1700	—	1700
8	बाजरा	सी.पी.जेड— 9802, पी.—334, पी—383	2000	400	1600
9	बाजरा	राज चरी — 2	1800	—	1800
10	मक्का	नवज्योत	1600	—	1600
11	मक्का	अफ्रीकन टॉल	2000	—	2000
12	मक्का	ए.एम.— 1	2000	400	1600
13	मक्का	जी.एस.एफ. 2	2300	—	2300
14	मक्का	पी.ई.एच.एम—2 (नवउत्पादित)	2800	800	2000
14(अ)	मक्का	पी.ई.एच.एम— 2 (केरी ओवर)	2571	771	1800
15	धान	पी.बी— 1	2500	—	2500
16	धान	माही सुगन्धा	2000	—	2000
17	अरण्डी	जीएयूसीएच— 4	9800	800	9000
18	अरण्डी	आर.एच.सी.— 1	10800	800	10000
19	ज्वार	सी.एस.एच. — 14	3000	—	3000
20	ज्वार	सी.एस.एच. — 16 (नवउत्पादित)	4000	1000	3000
20(अ)	ज्वार	सी.एस.एच. — 16 (केरी ओवर)	3733	933	2800

21	ज्वार	सी.एस.वी.-15 दिनांक 19-05-06 तक	2600	400	2200
21(अ)	ज्वार	सी.एस.वी.-15 दिनांक 20-05-06 से	2600	—	2600
22	ज्वार	एम.पी चरी	1900	—	1900
23	ज्वार	एस.एस.जी.	1900	—	1900
24	ढेंचा सत्यचिन्हित		1600	—	1600
25	सोयाबीन	सभी किस्में (नवउत्पादित)	2429	729	1700
25(अ)	सोयाबीन	सभी किस्में (केरी ओवर)	2143	643	1500
26	तिल	सभी किस्में	5800	800	5000
27	मूंगफली	जी.जी.-20(गुली) सत्यचिन्हित	4600	600*	4000
28	मूंगफली	जी.जी.2 / 7, जे.एल. 24	3200	800	2400
29	मूंगफली	एच.एन.जी. 10 , प्रकाश व अन्य किस्में	3800	800	3000
30	मोंठ	सभी किस्में	4300	800	3500
31	चौला	आर.सी.वी. - 7	5000	—	5000
32	चौला	अन्य किस्में	4300	800	3500
33	अरहर	मानक	3800	800	3000
34	ग्वार	एम- 83	7000	—	7000
35	ग्वार	अन्य किस्में	3800	800	3000
36	कपास	बीकानेरी नरमा	3000	—	3000

\* 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट :- सोयाबीन, मक्का पी.ई.एच.एम. - 2, एवं ज्वार सीएसएच 16 को छोड़कर (चूकि इनकी कैरीओवर की दरे उक्त तालिका में अलग से अकित की जा चुकी हैं ) अन्य फसल/किस्मों के केरी ओवर प्रमाणित बीज का कुल विक्रय मूल्य एवं विक्रय दर अनुदान राशि घटाने के पश्चात (एम.आर.पी.) नव उत्पादित बीज के कुल विक्रय मूल्य एवं विक्रय दर अनुदान राशि घटाने के पश्चात (एम.आर.पी.) से रूपये 200 प्रति क्विंटल कम निर्धारित की जाती है।

सामान्य वितरण में निगम के अधिकृत विक्रेताओं को व्यापारिक छूट (ट्रेड डिस्काउन्ट ) या परिलाभ निगम मे परिपत्रांक 10852-11085 दिनांक 10.9.06 एवं 11826-12060 दिनांक 16.9.06 के अनुसार तथा राजफैड को निगम एवं राजफैड के मध्य हुये समझौते के अनुसार (एम.आर.पी. पर ) देय होंगे ।

मुख्यालय के पत्रांक 13916-14160 दिनांक 13.10.97 में दिये निर्देशों की अनुपालना में सामान्य वितरण /प्रदर्शन हेतु जारी इनवाइस/केशमीमो आदि में अनुदान राशि का उल्लेख अवश्य करें ।

महाप्रबंधक